Mail

MOST-URGENT
OUT – TODAY

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

क्रमांकः न्याय/कोरोना/2020/22872 दिनांक :–02 मई, 2020

:: आदेश ::

भीलवाडा मे नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने एवं संक्रमण फैलने की सम्भावनाओं के मध्यनजर नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक परिशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले में दिनांक 19.03.2020 से निषेधाज्ञा एवं भीलवाड़ा शहर के साथ–साथ जिले के कई क्षैत्रों में (जहां–जहां कोरोना संक्रमित व्यक्ति चिन्हित हुये) में सख्त निषेधाज्ञा (Curfew) लागु की गई है। साथ ही भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में सम्पूर्ण देश एवं राज्य में लॉकडाऊन घोषित किया हुआ हैं।

इस क्रम में **COVID-19** के तहत लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार की गाईडलाईन 15.04.2020 में प्रदत्त निर्देशानुसार अनुमत गतिविधियों के तहत नागरिकों को पास जारी कराने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों द्वारा ई–पास की व्यवस्था प्रारम्भ की गई है। इस व्यवस्था में 20 विभागों मुख्यतः पुलिस, कलेक्ट्रेट, परिवहन, कृषि, उद्योग, रिको, पशुपालन, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग आदि से संबंधित कार्यों हेतु प्राप्त आवेदनों के निस्तारण के लिए ऑनलाईन ई–पास जारी किये जाने की व्यवस्था की गई है। जिसके तहत जिला कार्यालय के साथ–साथ विभिन्न कार्यालयों में ई–पास हेतु नियमित रूप से आवेदन प्राप्त हो रहे हैं।

अतः भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में उक्तानुसार ई–पास प्रक्रिया की जिला स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन, संचालन, मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु संयुक्त निदेशक, सूचना, प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, भीलवाड़ा को **नोड़ल अधिकारी,** एवं उप निदेशक (एसीपी) सूचना, प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, भीलवाड़ा को **सहायक नोड़ल अधिकारी** नियुक्त जाकर निर्देशित किया जाता हैं कि इस संबंध में सर्वसंबंधित अधिकारियों से नियमित रूप से आवश्यक समन्वय स्थापित कर प्राप्त एवं लम्बित आवेदनों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित कर प्रगति से अवगत करावें साथ ही इस हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता की ई–मेल आई–डी dm-bhi-rj-@nic.in पर प्राप्त आवेदनों के संबंध में प्रतिदिन अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन/शहर) से चर्चा कर प्रदत्त निर्देशों के क्रम में अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कर आवेदनों का यथोचित निस्तारण सुनिश्चित करावें।

2/5/20
(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर,
भीलवाडा

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

01. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान–जयपुर
02. अति0 मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान–जयपुर

.... 2

03. आयुक्त एवं विशिष्ठ शासन सचिव, सू.प्रौ. और संचार विभाग, राजस्थान–जयपुर।
04. संभागीय आयुक्त, अजमेर
05. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा
06. अति० जिला मजिस्ट्रेट, (प्रशासन/शहर) भीलवाडा
07. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा
08. समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण, भीलवाड़ा
09. समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जिला–भीलवाड़ा
10. संयुक्त निदेशक, सूचना, प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, भीलवाड़ा
11. सहायक निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, भीलवाड़ा
12. उप निदेशक (एसीपी) सूचना, प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, भीलवाड़ा

जिला कलक्टर,
भीलवाडा